भारत सरकार
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या †3813
दिनांक 11 अगस्त, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

भेषज उद्योग संवर्धन योजना

†3813. श्री जी.एम. सिद्देश्वर:

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में कर्नाटक में "भेषज उद्योग संवर्धन" (एसपीआई) योजना के संबंध में कोई दिशानिर्देश जारी किए हैं;
(ख) यदि हां, तो उक्त योजना के लिए आवंटित निधि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार का कर्नाटक में फार्मा क्षेत्र की मौजूदा अवसंरचनात्मक सुविधाओं में सुधार करने का भी प्रस्ताव है;
(घ) यदि हां, तो उक्त योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) फार्मा क्षेत्र में भारत को ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

उत्तर
रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री (श्री भगवंत खुबा)

(क) से (घ): भारत सरकार के औषध विभाग ने दिनांक 11.03.2022 को "औषध उद्योग का सुदृढ़ीकरण" (एसपीआई) योजना के लिए दिशानिर्देश जारी कर दिये हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2025-2026 की अवधि के लिए योजना का वित्तीय परिव्यय 500 करोड़ रु. है। इस योजना का लक्ष्य देश भर में मौजूदा फार्मा समूहों और एमएसएमई को उनकी उत्पादकता, गुणवत्ता, स्थिरता में सुधार करने और भारत को फार्मा क्षेत्र में वैश्विक नेता बनाने के लिए मौजूदा बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के समर्थन की बढ़ती मांग को पूरा करना है। यह योजना पूरे देश में लागू है और इसका कोई राज्य विशेष लक्ष्य निर्धारित नहीं है।

एसपीआई योजना में निम्नलिखित तीन उप-योजनाएँ हैं:

i. **साझा सुविधाओं के लिए औषध उद्योग को सहायता (एपीआई-सीएफ)** साझा सुविधाओं का सृजन के लिए मौजूदा फार्मास्यूटिकल्स समूहों की क्षमता को मजबूत करने के लिए प्रदान की गयी है। इससे न केवल गुणवत्ता में सुधार होगा बल्कि समूह में इकाइयों की प्रतिस्पर्धात्मकता और सतत विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।

ii. **औषध प्रोद्योगिकी उन्नयन सहायता योजना (पीटीयूएएस)** का उद्देश्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विनियामक मानकों (डब्ल्यूएचओ-जीएमपी या अनुसूची-एम) को पूरा करने के लिए प्रमाणित ट्रैक रिकॉर्ड वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम औषध उद्यमों (एमएसएमई) को सुविधा प्रदान करना है। योजना के अंतर्गत, ऐसे उद्यमों के ऋण पर ब्याज छूट या पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाती है, जो इन इकाइयों की मात्रा के साथ-साथ संख्या में वृद्धि को भी सुविधाजनक बनाता है, और

iii. **औषध एवं चिकित्सा उपकरण संवर्धन एवं विकास योजना (पीएमपीडीएस)** का उद्देश्य अध्ययन/सर्वे रिपोर्ट, जागरूकता कार्यक्रम, डेटाबेस के निर्माण और उद्योग को बढ़ावा देने के माध्यम से औषध और चिकित्सा उपकरण क्षेत्र की वृद्धि और विकास को सुविधाजनक बनाना है।

(ङ): एसपीआई योजना के अलावा, भारत सरकार ने औषध क्षेत्र में भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने के लिए कई उपाय किए हैं। इस संबंध में कार्यकर्म संबंधी हस्तक्षेप इस प्रकार हैं:

i. पहचान किए गए 41 उत्पादों हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए वित्तीय वर्ष 2020-2021 से वित्तीय वर्ष 2029-30 की अवधि के लिए 6,940 करोड़ रु. के वित्तीय परिव्यय के साथ महत्वपूर्ण प्रमुख प्रारंभिक सामग्रियों (केएसएम)/ औषधि मध्यवर्ती (डीआई) और सक्रिय औषधीय सामग्री (एपीआई) के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना।

ii. वित्तीय वर्ष 2020-2021 से वित्तीय वर्ष 2028-29 की अवधि के लिए 15,000 करोड़ रु. के वित्तीय परिव्यय के साथ औषधों संबंधी उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना, तीन उत्पाद श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले पात्र उत्पादों के निर्माण के लिए 55 चयनित आवेदकों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है।

iii. बल्क औषधि पार्कों की स्थापना के सहयोग संबंधी यह योजना तीन बल्क औषधि पार्कों की स्थापना में साझी बुनियादी सुविधाओं का निर्माण करने के लिए प्रत्येक को 1000 करोड़ रुपये तक का सहयोग प्रदान करती है।

*****